उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1993

सा.का.नि. 634.—भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए 18 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड (3) उप-खण्ड (i) के पृष्ठ 1400 से 1401 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) की तारीख 2 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462 में कतिपय प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी; 10 नवम्बर, 1993 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 27 सितम्बर, 1993 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और आम जनता से कोई आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड भारतीय बॉयलर विनियम 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को इंडियन बॉयलर (तृतीय संशोधन) रेगुलेशन, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, 1950 (जिन्हें तत्पश्चात उक्त रेगुलेशन कहा जाएगा) में, रेगुलेशन 267 में, उप-रेगुलेशन (ए बी) में पैराग्राफ (5) के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"(5) बट्ट वैल्ड के मामले में, दबाव अवयव की मोटाई उस बिन्दु पर जहां बिना दबाव अवयव दबाव अवयव से वैल्ड किया जाता हो;

(6) फिलेट के मामले में, फिलेट वैल्ड की मोटाई उस बिन्दु पर जहां बिना दबाव अवयव दबाव अवयव से वैल्ड किया जाता हो।

3. उक्त रेगुलेशन में, रेगुलेशन 362 में, उप-रेगुलेशन (2) में, पैराग्राफ (5) के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"(5) बट्ट वैल्ड के मामले में, दबाव अवयव की मोटाई उस बिन्दु पर जहां बिना दबाव अवयव दबाव अवयव से वैल्ड किया जाता हो;

(6) फिलेट वैल्ड के मामले में, फिलेट वैल्ड की मोटाई उस बिन्दु पर जहां बिना दबाव अवयव दबाव अवयव से वैल्ड किया जाता हो।"

[मिसिल सं. 6(6)/90-बायलर]
विजय कुमार गोयल, सचिव

पाद टिप्पण: मूल विनियम एस.आर.ओ. संख्या 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे:

(1) सा.का.नि. संख्या 178, दिनांक 24 मार्च, 1990
(2) सा.का.नि. संख्या 179, दिनांक 24 मार्च, 1990
(3) सा.का.नि. संख्या 488, दिनांक 9 अक्तूबर, 1993
(4) सा.का.नि. संख्या 516, दिनांक 23 अक्तूबर 1993

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 8th December, 1993

G.S.R. 634.—Whereas certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at pages 1400-1401 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (1), dated the 18th September, 1993 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) No. GSR 462, dated the 2nd September, 1993 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till he 10th November, 1993;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on the 27th September, 1993 ;

And, whereas, no objections or suggestions have been received ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the

Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950; namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Third Amendment) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said Regulations, in regulation 267, in sub-regulation (ab), for paragraph (v), the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"(v) the thickness of the pressure parts at the point of attachment where a non-pressure part is welded to a pressure part, in case of butt welds;

(vi) the thickness of the fillet weld at the point of attachment where a non-pressure part is welded to a pressure part, in case of fillet welds."

3. In the said regulations, in regulaton 562, in sub-regulation (2), for paragraph (v), the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"(v) the thickness of the pressure part at the point of attachment where a non-pressure part is welded to a pressure part, in case of butt welds;

(vi) the thickness of the fillet weld at the point of attachment where a non-pressure part is welded to a pressure part, in case of fillet welds.".

[File No. 6(6)/90-Boilers]

V. K. GOEL, Secy.

Foot note :—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. No. 600, dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications :—

(i) GSR 178, dated 24th March, 1990.

(ii) GSR 179, dated 24th March, 1990.

(iii) GSR 488, dated 9th October, 1993.

(iv) GSR 516, dated 23rd October, 1993.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1993

सा.का.नि. 835.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियमावली, 1980, में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (अनुसंधान सहायक) भर्ती संशोधन नियमावली, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियमावली, 1980 की वर्तमान अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
अनुसंधान सहायक 45 पद हिन्दी के लिए, 4 पद क्षेत्रीय भाषाओं के लिए तथा 25 पद निम्नलिखित विषयों के लिए : कृषि, नृविज्ञान, पुरातत्व, वनस्पतिविज्ञान, रसायन, वाणिज्य, ड्राइंग एवं पेंटिंग, अर्थशास्त्र, शिक्षा इंजीनियरी, (सिविल, विद्युत, कम्प्यूटर-विज्ञान, यांत्रिक, इलेक्ट्रानिकी वस्त्र, खनिज, चर्म, प्रोद्योगिकी), अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य भूगोल,	74* (1993) *कार्यभार की दृष्टि से उक्त संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिकीय	रु. 1640-60 2600-द.रो. 75-2900	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत में अभ्य-